राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1677/2021
हनुमान सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, टोंक।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.11.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> ''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं0–4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 को निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 07.06.2015 से ग्रेड पे 2800/– में फिक्सेशन के अनुसार ही पेंशन परिलाभों पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर का भुगतान प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलाया जावें।
> (ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।
> (ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वेतन फिक्सेशन कर लाभ प्रदान किया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान देरी से किया गया है, जिसके लिये अपीलार्थी ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 31.07.2020 को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया तथा अपीलार्थी ने समय से पूर्व ही प्रत्यर्थीगण को पेंशन कुलक आदि भरकर प्रस्तुत किये। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को करीब 9 माह तक ना तो पेंशन परिलाभों का भुगतान किया। ना हीं अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच व न्यायिक प्रकरण

विचाराधीन था, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर 9 माह तक अनावश्यक रूप से अपीलार्थी के प्रकरण को लंबित रखा। राजस्थान पेंशन नियम के नियम 89 में यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से जिस दिनांक को भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है तथा भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी की ओर से नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्ति परिलाभों पर कर्मचारी 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व ही पेंशन परिलाभों को प्राप्त करने के लिए पेंशन कुलक आदि प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत कर दिये थे। परन्तु प्रत्यर्थीगण की गलती के कारण तथा अनावश्यक आक्षेपों की पूर्ति नहीं करने के कारण अपीलार्थी के पेंशन परिलाभों में भुगतान में देरी हुई, जिस पर अपीलार्थी उक्त प्रावधान के अनुसार 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. स्पष्ट रूप से अपीलार्थी दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हो गया था। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के 9 माह पश्चात सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया। यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी की गलती के कारण उसे सेवानिवृति लाभ का भुगतान देरी से किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में जो देरी हुई है उस पर अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभों के

भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाये।

7. उपरोक्त आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जाये। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)